राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, सवाई माधोपुर

क्रमांकः/रसद/2025/209 दिनांक 3-12-25

–:: नीलामी सूचना ::–

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक कोर्ट/मुत0(6ए)2025/2742 दिनांक 28.10.2025 के द्वारा जब्त किये गये गेहूँ के निस्तारण नीलामी द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। नीलामी निम्नानुसार उचित मूल्य दुकानदार श्री पवन कुमार जैन (9578),वार्ड न.0 12, शहर, सवाई माधोपुर के यहाँ, ''जैसा है वैसे के आधार पर'' नीलामी कमेटी द्वारा नीलाम किया जाएगा।

क्र. सं.	नीलामी स्थल	नीलामी दिनांक व समय	गेहूँ की मात्रा (कि.ग्रा)	अनुमानित मूल्य	अर्नेस्ट मनी
1	श्री पवन कुमार जैन, उचित मूल्य दुकानदार, वार्ड नं. 12,शहर सवाई माधोपुर की दुकान (9578)	18.12.2025 दोपहर 02:00 बजे	6279.48 किलोग्राम	1,52,278 रु.	3050 रु

नीलामी की शर्ते :–

1 नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को पेनकार्ड, आधार कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

2 नीलामी में भाग लेने से पूर्व अनुमानित मूल्य का अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) के रुप में डी.डी. प्रस्तुत करना होगा।

3 नीलामी प्रक्रिया में अधिकतम राशि का प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति/फर्म को गेहूँ की राशि अगले दिवस दिनांक 19.12.2025 को सायं 05.00 बजे तक चालान द्वारा जमा कराकर चालान की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी। तत्पश्चात ही गेहूँ उठाव का आदेश जारी किया जायेगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा नही कराने पर अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

4 नीलामी के पश्चात सफल नीलामी दाता/व्यक्ति/फर्म/संस्था द्वारा उक्त राशि राजस्व मद 8443–00–103–00–00 (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग) में चालान द्वारा जमा करायें।

5 अधिकतम बोलीदाता द्वारा गेहूँ उठाव का आदेश जारी होने के पांच दिवस में गेहूँ का उठाव करना होगा। उठाव करने का समस्त व्यय बोलीदाता को वहन करना होगा।

6 नीलामी के संबंध में अंतिम निर्णय करने/नीलामी स्थागित करने का सम्पूर्ण अधिकार नीलामी समिति के पास होगा।

7 गेहूँ का आरक्षित मूल्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है।

जिला रसद अधिकारी
सवाई माधोपुर

क्रमांकः/रसद/2025/210-222 दिनांक 3-12-25

प्रतिलिपि :–

1 श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।

2 श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, सवाई माधोपुर

3 श्रीमान् तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि इसे विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित करावें।

4 जिला कोषाधिकारी के प्रतिनिधि श्री ईशाक मोहम्मद, सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, कोष कार्यालय सवाई माधोपुर को प्रेषित कर लेख है कि आप नीलामी दिनांक व समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

5 श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि नीलामी दिनांक पर उपस्थित रहकर नीलामी संबंधी कार्यवाही पूर्ण कराकें रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

6 प्रबंधक/व्यवस्थापक क्रय–विक्रय सहकारी समिति/जी.एस.एस सवाई माधोपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु एवं प्रचार–प्रसार हेतु।

7 गेहूँ सुपुर्दगार श्री पवन कुमार जैन, उचित मूल्य दुकानदार, वार्ड नं. 12,शहर सवाई माधोपुर पीओएस मशीन नं. 9578 को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित तिथि को निलामी स्थल पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।

8 नोटिस बोर्ड जिला रसद कार्यालय/कलेक्ट्रेट/तहसील/नगरपरिषद, सवाई माधोपुर।

जिला रसद अधिकारी
सवाई माधोपुर